

मार्गदर्शिका

दस्तावेजों/मानचित्र की प्रति प्राप्त करना

सूचना :

1. “यह पुस्तिका सामान्य मार्गदर्शन के लिये हैं। विधिक प्रावधानों के सम्बन्ध में तत्समय प्रभावी नियम, विनियम, परिपत्र, आदेश, आदि के प्रावधान ही अधिप्रभावी होंगे।”
2. आप अपना भरा हुआ आवेदन पत्र नागरिक सेवा केन्द्र की खिडकी पर जमा करवाएँ। दी गई निर्धारित अवधि के पश्चात इसी केन्द्र से वापस परिणाम/ अन्तरिम उत्तर (उन्ही प्रकरणों में जिनमें परीक्षण अपेक्षित हैं) प्राप्त करें।

परिचय

निर्धारित शुल्क अदाकर दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

1. मानचित्रों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का विवरण :

मानचित्र

मानचित्र	निर्धारित शुल्क
1. सहकारी समिति की योजना का अनुमोदित मानचित्र	अ. 4 वर्ग फिट तक माप के मानचित्र : (100 / -रु)
2. जविप्रा द्वारा सृजित योजनाओं के मानचित्र	ब. 4 वर्ग फिट से बड़ा व 8 वर्ग फिट से छोटा (200 / -रु) स. 8 वर्ग फिट व उससे बड़ा : (400 / -रु)

नोट – प्रपत्र 1 में आवेदन करें।

2. दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का विवरण

भूखण्डधारी स्वयं के भूखण्ड के निम्न दस्तावेजों की प्रति प्राप्त कर सकता है, किसी अन्य

व्यक्ति को दूसरे भूखण्डधारी के स्वामित्व दस्तावेज की प्रति नहीं दी जावेगी। आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र पूर्व में भूखण्ड ऋणदात्री संस्था/ अन्यत्र गिरवी न रखने का 10/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से तस्दीकशुदा प्रस्तुत किया जावें।

दस्तावेज	निर्धारित शुल्क
अ. आवंटन पत्र	10/-रु प्रति पेज
ब. कब्जा पत्र	10/-रु प्रति पेज
स. साईट प्लान	25/-रु प्रति पेज
द. क्षेत्रीय आरक्षित दर की प्रमाणित सूची	10/-रु प्रति पेज
नोट : प्रपत्र 2 में आवेदन करें।	

90 – बी के आदेशा/निर्णया की सत्य प्रतिलिपि के लिय प्रार्थी अलग से न्यायालय का नकल (फार्म संख्या 18/नियम 218) प्रार्थना पत्र कोई फीस सहित प्रस्तुत किया जावें। (कृपया प्रपत्र 3 (2) व 3 (2) (i) में आवेदन करें।)

नोट : दस्तावेज/ अनुमोदित मानचित्र की प्रति प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात निर्धारित शुल्क की जानकारी प्राप्त कर आवेदक द्वारा शुल्क जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।